तीये की बैठक

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है की हमारे पूजनीय **श्री प्रदीप कुमार भारद्वाज** का निधन मंगलवार दिनांक 24.06.2025 को हो गया है। जिनका अंतिम संस्कार गुरुवार दिनांक 26.06.2025 को प्रातः 11 बजे हीरापुरा शमशान घाट पर होगा एवं तीये की बैठक शुक्रवार दिनांक 27.06.2025 को सांय 4 से 5 बजे क्लब हाऊस, प्लेटिनम अमलटास, कनकपुरा, सिरसी रोड, जयपुर पर रखी गई है।
शोकाकुलः समस्त भारद्वाज परिवार 7425809599

खोया पाया

मेरे RHB प्लॉट नंबर 68/289 प्रताप नगर, सांगानेर के समस्त कागज कहीं गुम हो गए है मिलने पर सूचित करे। त्रिलोक चंद अग्रवाल 9999457401

मेरे मकान 232/22 प्रताप नगर सांगानेर का मूल आवंटनपत्र न.3570, मालवीय नगर में कही गिर गया है मिलने पर सूचित करें- मनीष 7792835859

मेरे मकान सं. 85/262, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर का मूल कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें- 9414778643

I, Ajay Jain s/o Late Shri Rajendra Jain, r/o A-6, Mahaveer Nagar, Tonk Road, Jaipur, have lost the original Share Certificate and Allotment Letter of my Flat no. 121 (Membership No. 69), Sitaram Co-Operative Group Housing Society, Plot No. 102, Sita Ram Apartments, IP Extension, Delhi 110092 at Amrapali Marg, Vaishali Nagar, Jaipur. If anyone finds the file containing these papers kindly return at the above mentioned address and contact me on 9829050908.

I, Abhay Jain s/o Late Shri Rajendra Jain, r/o A-6, Mahaveer Nagar, Tonk Road, Jaipur, have lost the original Share Certificate and Allotment Letter of my Flat no. 224 (Membership No. 76), Sitaram Co-Operative Group Housing Society, Plot No. 102, Sita Ram Apartments, IP Extension, Delhi 110092 at Amrapali Marg, Vaishali Nagar, Jaipur. If anyone finds the file containing these papers kindly return at the above mentioned address and contact me on 9829050908.

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/398
चूंकि प्रार्थी श्री SOHAN LAL GURJAR, C.B ROAD BHURWARA RAJSAMAND RAJASHTAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के बन्तर्गत प्रन्यास लिटिल सीड्स वेल्फेयर सोसाइटी, PLOT NO B. 455 MAHESH NAGAR, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29/08/2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/430
चूंकि प्रार्थी श्री JERRY VARUGHESE, 71, AGRASEN NAGAR, BARKAT NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN 302015 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के बन्तर्गत प्रन्यास सेन्ट थॉमस आर्थोडोक्स सीरियन चर्च सोसाइटी, 38, INDRA COLONY BANIPARK JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 01/09/2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/431
चूंकि प्रार्थी श्री DEEPAK GUPTA, 101 SHANTI NAGAR, JOSHI MARG KALWAR ROAD JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास रेज ऑफ होप, 2/89, SECTOR-2, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29/08/2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

दो आरोपी सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार

सांभरझील, (निसं)। जोबनेर पुलिस ने सरपंच पति को गोली मारकर जान से खत्म करने की धमकी देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी जोबनेर सुहेल खान ने बताया कि पुलिस थाना जोबनेर व गोविन्दगढ मे दर्ज हत्या के प्रकरणों में जेल में बंद आरोपी सूरज कुमावत व मुकेश मांडिया तथा पोक्सो एक्ट प्रकरण में जेल में बंद आरोपी ओमप्रकाश जाखड की सेन्ट्रल जेल में बंद होने के दौरान तीनों की आपस मे जानकारी हो गई थी तथा बाद में आरोपी ओमप्रकाश की जमानत होने पर जेल से बाहर आ गया था। सेन्ट्रल जेल में बंद आरोपी सूरज कुमावत व मुकेश मांडया द्वारा दिनांक 19/06/2025 को सेन्ट्रल जेल की एसटीडी से जमानत पर चल रहे मुल्जिम ओमप्रकाश पुत्र मन्नाराम जाट निवासी भूरा जाखड की ढाणी तन जोरपुरा थाना जोबनेर जिला जयपुर के मोबाईल फोन से कॉल डायवर्ड कर सरपंच पति आनन्दीलाल कुमावत के मोबाईल फोन पर फोन कर कहा कि दो दिन से तेरे पीछे केम्पर लगी हुई है। आरोपियों ने कहा कि 17 लाख रूपये ले लो और तुम्हारी जमीन की रजिस्ट्री करा दो नही तो 2-3 रोज के अन्दर गोली मार कर खत्म कर दिया जावेगा, जैसे शौकान कुमावत के गोली मारी थी वैसे ही गोली मारकर खत्म कर दिया जायेगा। पुलिस थाना जोबनेर पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों सूरज कुमावत व मुकेश कुमार मांडिया को प्रोडेक्शन वारण्ट पर जेल से प्राप्त कर बाद पूछताछ जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर गिरफ्तार किया गया तथा तीसरे सह आरोपी ओमप्रकाश कुमावत जो जेल से पोक्सो के मामले में जमानत पर चल रहा था को डिटेन कर पूछताछ की तो वारदात में स्वयं के मोबाइल से जेल में बंद आरोपियों की कॉल डायवर्ट सरपंच पति के मोबाइल पर करके सहयोग करना पाया गया जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

जोबनेर पुलिस ने सरपंच पति को गोली मारकर जान से खत्म करने की धमकी देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बेसहारा परिवार को आर्थिक सहायता

श्रीमाधोपुर । निकटवर्ती ग्राम हांसपुर (श्रीमाधोपुर) में सगे भाई शंकर व सुभाष की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार की सर्व समाज के मानवतावादी सहयोग कर्ताओं ने आर्थिक संबल प्रदान किया। समाजसेवी विमल कुमार पबडी श्रीमाधोपुर ने बताया कि शंकर व सुभाष बहुत ही गरीब परिवार से थे जो मजदूरी करके बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नियों के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी ।

इस खबर को सोशल मीडिया पर पढ़कर स्थानीय ग्राम वासियों ने व सर्व समाज के सदस्यों ने एक आर्थिक सहायता के लिए एक मिशन चलाया जिसमें लगभग 676 सहयोग कर्ताओं के सहयोग करने के बाद रुपए 5 लाख 61 हजार की राशि एकत्रित कर 25 जून बुधवार को सर्व समाज के सदस्यों व स्थानीय ग्रामीणों ने सुभाष एवं शंकर को श्रद्धांजलि अर्पित करके स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में पीडित परिवार को राशि सौंप दी । इस राशि में प्रत्येक बच्चों के नाम एफडी करवा दी गई शेष बची राशि बूढी मां को दे दी गई । मिशन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी सहयोग कर्ताओं को ठाम वासियों ने बहुत-बहुत धन्यवाद दिया।

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण प्रकाश शर्मा पुत्र कल्याणमल शर्मा, श्रीमती संतोष देवी पत्नि प्रकाश शर्मा निवासी- प्लॉट नं. 02 भोमिया कॉलोनी हाज्यावाला सांगानेर जयपुर का पुत्र रिंकू शर्मा अपनी पत्नि नीरजा शर्मा से प्रताडित होकर तथा कभी- कभी उसकी बातो में आता रहता है तथा यह दोनो मेरे अभिभाष्यगण के कहने में नही है इसलिये मेरे अभिभाष्यगण ने अपने पुत्र रिंकू शर्मा व पुत्रवधु नीरजा शर्माको अपनी समस्त प्रकार की चल -अचल सम्पत्ति में से बेदखल कर दिया है अब मेरे अभिभाष्यगण की सम्पत्ति में उसके पुत्र व पुत्रवधु का कोई हक, हिस्सा, संबंध व सरोकार नही है जो भी व्यक्ति/फर्म/संस्था इनसे कोई लेनदेन, संव्यवहार करेगा वह स्वंय जिम्मेदार होगा इसमें मेरे अभिभाष्यगण की कोई जिम्मेदारी नही होगी सूचित रहे। दिनांक - 26.06.2025 भवदीय
कीर्ति वर्मा एडवोकेट मो. 9351522910

आम सूचना दिनांकः 25.06.2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य सुभाष चन्द्र सोनी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सोनी निवासी-ग्राम निमेड़ा, तहसील खंडेला, सीकर, राजस्थान की पुत्री विजेता सोनी मेरे अभिभाष्य के कहे में नहीं है तथा अपनी हरकतों से मेरे अभिभाष्य व उसके परिवारजनों को हैरान परेशान करती आ रही है तथा मेरे अभिभाष्य की मान प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही है। मेरे अभिभाष्य ने उक्त पुत्री विजेता सोनी को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हुये इससे अपने समस्त संबंध समाप्त कर लिये हैं तथा मेरे अभिभाष्य के सरकारी सेवा से प्राप्त होने वाले लाभ-परिलाभों से भी मेरा अभिभाष्य उक्त पुत्री विजेता सोनी को बेदखल कर दिया है। अब मेरे अभिभाष्य व उसके परिवारजनों के विजेता सोनी से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार शेष नहीं रहा है विजेता सोनी के किसी भी सामान्य व आपराधिक कृत्य, निजी एवं उसके द्वारा वित्तीय संस्था, संघठनों व व्यक्तियान के साथ किये गये लेन देन, संव्यवहार आदि के लिए मेरा अभिभाष्य व उसके परिवारजन जिम्मेदार नहीं होंगे। सूचित रहे। भवदीय जे.पी. शर्मा
(एडवोकेट, राज. उच्च न्यायालय) 9829059070

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती द्रौपदी पत्नि स्व. श्री निहालचन्द मेठानी निवासी-प्लाट नं. 88वी, सिंधी कॉलोनी, ख्वासजी का बाग, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर का पुत्र अनिल कुमार मेठानी गलत लोगो की संगत में रहने के कारण एवं मेरी अभिभाष्या के कहने में नहीं होने के कारण मेरी अभिभाष्या अपने पुत्र अनिल कुमार मेठानी को अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करती है तथा मेरी अभिभाष्या के पुत्र अनिल कुमार मेठानी के साथ जो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का लेन देन, व्यवहार, व्यापार आदि करेगा तो उसके संबंध में मेरी अभिभाष्या एवं मेरी अभिभाष्या के परिवारजनों तथा मेरी अभिभाष्या के स्वामित्व की चल अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।
दिनांक-25/6/25 (श्रवण शर्मा) एडवोकेट
मोबाइल 7891312141

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनूं।
प्रार्थीया-इन्दुमती देवी बनाम अनिल कुमार वगैरह
आवेदन पत्र करवाये जाने पत्थरगढ़ी अः धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 मुकदमा नम्बर 103/2024
प्रेषित :-
1. अनिल कुमार पुत्र बनवारीलाल निवासी ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी, तहसील गुढा, जिला झुन्झुनू (राज.)।
2. सुनिल वशिष्ट पुत्र बनवारी, निवासी ग्राम गुढागौड़जी पटवारी हल्का गढागौड़जी तहसील गुढा, जिला झुन्झुनू (राज.)।
3. मन्दिर श्री रघनाथजी निवासी ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी, तहसील गुढा, जिला झुन्झुनू (राज.)।
उक्त प्रार्थीया इन्दुमती देवी ने इस न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश किया है कि (नकल संलग्न है)
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए तारीख 23-07-25 को समय 10:00 बजे पुर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिया गया हो उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आवेदन की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जायेगा।
यह तारीख 24.6.25 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया है।
मोहर अदालत — उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू (राज)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
क्रमाक-राजस्व/2025/2306 दिनांक-18/6/2025
अभिवन छावल पुत्र कानाराम जाति मीणा निवासी पोस्ट आफिस के पास, नरेड़ी मौहल्ला ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
उनवानी प्रकरण- बिशन सिंह वगैरह बनाम अभिनव छावल वगैरह
प्रार्थना पत्र 251 (ए) आर.टी.एक्ट. मुकदमा नम्बरः- 127/2024
आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट. बाबत् रास्ता खुलवाने निकलवाने बाबत् इस न्यायालय मे पेश किया है। जिसकी फोटो प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता आप अप्रार्थीगण काश्तकार से रास्ता लिया जाना है। जिसके सम्बन्ध में आप उक्त रास्ता या उक्त रास्ते के अलावा किस खसरा नम्बर से रास्ता आप देना चाहते है, स्पष्ट करें। यदि आप काश्तकार द्वारा कोई उचित रास्ता प्रस्तावित नही किया जाता है तो प्रार्थी के निकटतम और लघुत्तम रास्ता पटवारी द्वारा तैयार करवाकर प्रस्तावित कर दिया जावेगा।
इस सम्बन्ध में आपको कोई आपत्ति हो तो दिनांक 02/07/2025 को प्रातः 10:00 बजे आप स्वंय या अपने प्लीडर के द्वारा उपस्थित होकर वजह जाहिर करे, अन्यथा प्रकरण का निपटारा एकपक्षीय रूप से कर दिया जावेगा।
यह नोटिस आज दिनांक. व न्यायालय मोहर से जारी किये गये। 16/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर
संलग्न :- उपरोक्तानुसार
मोहर अदालत — उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

'गंगा के किनारे की सड़क 100 फुट चौड़ी होगी'

भरतपुर (निस)। भरतपुर में गोवर्धन गेट से चौबुर्जा गेट बाया केतन गेट,गोपालगढ़, घोड़ा घाट सुजानगंगा नगर के किनारे की सडक को 100 फुट चौड़ा करने को पुरातत्व विभाग की हरी झंडी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जिला कलेक्टर भरतपुर को पत्र लिखकर कहा है कि अष्टधातु गेट से चौबुर्जा गेट तक बाया केतन गेट, गोपालगढ़ और घोड़ा घाट तक सडक का चौड़ाई करण किया जाए ,संरक्षित स्मारक लोहागढ़ एवं सुजान गंगा के सारे निर्मित सडक को 100फुट चौड़ा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए विभाग ने जिला कलेक्टर को सड़क चौड़ाइ करण की आवश्यकता बताई है पुरातत्व विभाग के अनुसार सुजान गंगा के चारों ओर सड़क विशेषकर अष्टधातु गेट से केतन गेट गोपालगढ़ चौबुर्जा होते हुए घोड़ा घाट, सुजान गंगा नहर के सारे बनी हुई सड़क संरक्षित क्षेत्र में आती है इस सड़क के सहारे निर्माण व सड़क पर भारी ट्रैफिक का दबाव है जिसके कारण सुजान गंगा की मोटवाल जगह जगह से कमजोर हो गई है और टूट कर गिर भी रही है जो संरक्षित स्मारक के क्षतिग्रस्त होने का कारण है विभाग के अनुसार वर्तमान में सडक काफी सकरी है जिस पर यातायात का काफी दवाब है जिससे पर्यटक ठीक से स्मारक को देख नहीं पाते सडक के चौडे होने से पर्यटक हर ओर से स्मारक देख सकते हैं सडक के चौडी होने से अतिक्रमण का भार कम होगा और मोटवाल का जीवन बढेगा सडक चौडी होने के बाद बेहतर लैंडस्केप और सौंदर्यकरण बढेगा और जो भी पर्यटक इसको देखने आएंगे वे अच्छी छवि लेकर जाएंगे

पुरातन धरोहर संरक्षण समिति के अध्यक्ष दिनेश सिनसिनी ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पत्र पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा पुरातन धरोहर संरक्षण समिति जिस मांग को लेकर आंदोलन कर रही थी,इस बात को सर्वेक्षण विभाग ने समझा है अब जल्दी से जल्दी सडक चौडाईकरण का कार्य शुरू होना चाहिए

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ शर्मा ने पुरातत्व विभाग के निर्देशों की शीघ्र पालन करवाने की मांग की है

संयुक्त टीम का फील्ड निरीक्षण

अलवर। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला के निर्देशन पर नगर विकास न्यास एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा अलवर शहर के वर्षा जलभराव क्षेत्रों के दुरूस्तीकरण एवं वाटर रिचार्ज सिस्टम की संभावना तलाशने हेतु फील्ड निरीक्षण किया।

नगर विकास न्यास की सचिव श्रीमती धीगदे स्नेहल नाना ने बताया कि वन राज्यमंत्री संजय शर्मा द्वारा शहर में जल भराव की समस्या के निदान हेतु वाटर रिचार्ज सिस्टम आदि बनाए जाने के संबंध में जिला प्रशासन को एक पत्र प्रेषित किया था, जिसकी अनुपालना में जिला कलक्टर के निर्देशन पर संयुक्त टीम द्वारा शहर के अशोका टाकीज, गायत्री मंदिर रोड, घण्टाघर, अम्बेडकर सर्किल, भगसिंह सर्किल, बिजली घर का चौराहा एवं मंगलांसर रोड आदि क्षेत्रों का फील्ड निरीक्षण किया। मौके पर वर्षा जलभराव की स्थिति व उसके समाधान के संबंध में किए जाने वाले उपायों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इन क्षेत्रों में वाटर रिचार्ज सिस्टम आदि बनाने की संभावनाओं को भी तराशा गया। उन्होंने बताया कि संयुक्त टीम द्वारा उसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

मंत्री अविनाश गहलोत का स्वागत

निवाई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौशाला के सामने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का विधायक रामसहाय वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी व शहर अध्यक्ष नितिन जैन छाबड़ा के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं माली समाज के लोगों ने जगह-जगह राजस्थानी परंपरानुसार माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया।
मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में देश व प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। इस अवसर पर जयपुर पार्षद अंकित वर्मा, महामंत्री जयनारायण कुमावत, अरनिया मंडल अध्यक्ष शिवराज गुर्जर, हनुमान रजवास, रामगोपाल सेवलिया, पार्षद शंकरलाल सैनी, कमलेश किराड, संजय रैगर, लालचंद सैनी, गोवर्धन जैन, शंकर पडियार, जितेंद्र धारवाल, जितेंद्र विजय, नरेश कसाणा, ओमप्रकाश वर्मा, मदनलाल कुमावत, हनुमान गुर्जर, आशाराम डोई, सियाराम शर्मा व बुद्धराम मीणा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी प्रकार ट्रक यूनियन पर माली सैनी समाज के तत्वावधान में तहसील अध्यक्ष रामअवतार सैनी के नेतृत्व में मंत्री अविनाश गहलोत का समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष रामसहाय मुंशी, पूर्व सरपंच शंकरलाल सैनी, नाथूलाल सैनी, डॉ. मूलचंद सैनी, राजेश सैनी कनेसर, रामकल्याण सैनी, प्रेमप्रभु गंगाड़ा, पूर्व पार्षद प्रहलाद सैनी, एडवोकेट किशनलाल सैनी, कन्हैयालाल सैनी, पूर्व पार्षद रमेश सैनी व सुरेश सैनी सहित समाज के कई पदाधिकारी मौजूद थे।

राज्य सरकार पर निशाना साधा

अलवर। जिला कांठोस कमेटी अलवर के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार होते हुए भी कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आए दिन फायरिंग, तोडफ़ोड और लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं।

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर : DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/443
चूंकि प्रार्थी श्री Kamal Kant Maheshwari, Flat No. 501, Kings Landing Apartment, A-40, Vidyalaya Marg, Tilak Nagar, Jawahar Nagar, Jaipur, Rajasthan, 302004 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास JK Lakshmipat University, JK Lakshmipat University, Laliya Ka Bas, Mahapura, Ajmer Road, Jaipur, Rajasthan, 302026 के सम्बन्ध में अग्रिम जॉच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जॉच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जॉच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 24-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29/08/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर प्रथम

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर
क्रमांक :- जसअ/2025/111 दिनांकः 23.06.2025
ई-निविदा सूचना क्रमांक :- 6/2025-26
नगर निगम ग्रेटर जयपुर हेतु सुपर सकर मशीन मय डम्प ट्रक आपूर्ति कार्य हेतु पंजीकृत फर्म्स से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, विस्तृत सूचना एवं शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.jaipurmc.org, www.sppp.raj.nic.in and www.eproc.rajasthan.gov.in पर स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेन्ट के UBN No. JMC2526GLOB00878 पर देखी जा सकती है।
उपायुक्त (गैराज) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
राज.संवाद/सी/25/5000

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
सेक्टर-9 गोखले मार्ग, शिप्रा पथ रोड मानसरोवर जयपुर
क्रमांक :- जसअ/2025/107 दिनांकः 20.06.2025
ई-निविदा सूचना सं. अधि0 अभि0 (मानसरोवर जोन) -29/2025-26
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि0 अभि0 (मानसरोवर जोन) से सम्बन्धित विकास कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व http://sppp.raj.nic.in & eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। जिसका sppp पोर्टल यू.बी.ई.एन. नं. JMC2526WSOB00877 है। उक्त निविदा को http://sppp.raj.nic.in पर दिनांक 19.06.2025 को अपलोड करवा दिया जायेगा।
अधिशाषी अभियन्ता, मानसरोवर जोन, नगर निगम जयपुर ग्रेटर
राज.संवाद/सी/25/4895

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
क्रमांक :- जसअ/2025/113 दिनांकः 24.06.2025
ई-निविदा सूचना सं. - 110 से 112/2025-26
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत "AA" "A" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि0 अभि0 (मालवीय नगर जोन) से सम्बन्धित विकास कार्यो की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण ई निविदा सूचना संख्या- 110 से 111/2025-26 दिनांक 23.06.2025 से एवं ई निविदा सूचना संख्या- 112/2025-26 दिनांक 25.06.2025 से नगर निगम जयपुर ग्रेटर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व राजस्थान सरकार के पोर्टल http://sppp.raj.nic.in से अपलोड की जा सकती है। स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का Unique Bid Number (UBN) JMC2526WSOB00875 to JMC2526WSOB00876 o JMC2526WSOB00902 तक है।
अधिशाषी अभियंता (मालवीय नगर जोन), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
राज.संवाद/सी/25/4997

सर,उच्च शिक्षा मंत्री जी से मुझे मिलवा दीजिए,मेरा काम करवा दीजिए,ऑपरेशन के बाद शायद मैं बोल नहीं पाऊंगा''

जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ- रुक्टा डेमोक्रेटिक के प्रदेश संयोजक प्रो.रमेश बैरवा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल कैंसर पीड़ित अलवर कला कॉलेज लाइब्रेरियन प्रहलाद राम बुनकर को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा,आयुक्त कॉलेज शिक्षा डॉ.ओमप्रकाश बैरवा एवं वित्तीय सलाहकार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर कैंसर पीड़ित लाइब्रेरियन प्रहलाद राम बुनकर जिनकी सेवानिवृति इसी 31 जुलाई को होनी है को लगातार टॉर्चर कर संस्थानिक हत्या (इंस्टीट्ययूशनल मर्डर) पर आमादा है।

दलित प्रोफेसरों को लगातार प्रताडित कर रहे बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के प्राचार्य अशोक आर्य को तुरंत हटाकर इनके खिलाफ कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की पुरजोर मांग की है।

अशोक आर्य के स्थान पर अन्य प्राचार्य को लगाया जाए जो भेदभाव नहीं करे। ताकि कैंसर पीडित लाइब्रेरियन की सकुशल सेवानिवृत्ति हो सके। शिक्षकों को दुर्भावनावश परेशान नहीं किया जाए। शासन प्रशासन बदनाम नहीं हो।

लाइब्रेरियन बुनकर 2016 में कैंसर ऑपरेशन के बाद से बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में पदस्थापित है। प्राचार्य अशोक आर्य के अत्याचारों से बुरी तरह परेशान है, भयभीत है। बुनकर की सेवानिवृत्ति सकुशल नहीं होने देने पर आमादा है। लाइब्रेरियन बुनकर द्वारा उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद भी प्राचार्य पुस्तकालय की पुस्तकों का अपलेखन (राइट ऑफ) नहीं कर रहे हैं।